न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 750 सन 2019

अनवान :–

1. श्रवण पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुलवती पत्नी जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भूपसिह पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अर्जुन पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. गुडडीदेवी पुत्री जगमाल पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. सुरस्वती देवी पुत्री जगमाल पत्नि काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. चन्द्रकला पुत्री जगमाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी गलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 48/49 की कुल 10.1670हैक भूमि जगमाल पुत्र छतु के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छतु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा छतु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र जगमाल के नाम से दर्ज हुई। वादी के पिता जगमाल पुत्र छतु का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है

वादी के पिता जगमाल पुत्र छतु के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जगमाल के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का वराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी सख्या 1 के पति जगमाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जगमाल के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है तो जगमाल के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाइयों/भाता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 48/49 की कुल 10.1670हैव भूमि जगमाल पुत्र छतु के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के दादा छतु के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के दादा छतु के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र जगमाल के नाम से दर्ज हुई। वादी के पिता जगमाल पुत्र छतु का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है

वादी के पिता जगमाल पुत्र छतु के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जगमाल के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एव आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अत वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 48/49 की कुल 10.1670हैव भूमि जगमाल पुत्र छतु के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
जोहर (हनुमान

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है वादी के पिता जगमाल का देहान्त है जगमाल के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो जगमाल के नाम से दर्ज भूमि को बहिव हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन मे मृत्यू एव वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या .4 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या .4 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 48/49 की कुल 10.1670हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक जगमाल पुत्र छतु के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम 7.902हैक्ट बहिव एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.265हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. श्रवण पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 फुलवती पत्नी जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भूपसिह पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अर्जुन पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. गुडडीदेवी पुत्री जगमाल पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. सुरस्वती देवी पुत्री जगमाल पत्नि काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. चन्द्रकला पुत्री जगमाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 750 सन 2019 निर्णय दिनांक– 13/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 48/49 की कुल 10.1670हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक जगमाल पुत्र छतु के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम 8.902हैक बहिब एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.265हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner